न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 42/2019
दायर दिनांक : 19/12/2019
निर्णय दिनांक : 27/01/2025

उनवान

1. राधाबाई पुत्री गोदा जाट निवासी बालदियों का खेड़ा पारी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. माधु पिता गोदा जाट निवासी बालदियों का खेड़ा पारी तहसील भूपालसागर
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा कांकरवा तहसील कपासन
3. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आकोला
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति, पारी जरिये प्रबंधक, ग्रामसेवा सहकारी समिति, पारी
5. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रतनलाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्रकुमार दाधीच, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र वादी ने ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है जिसकी कुलिया सुनवाई होने में समय लगेगा। यह कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजियात राजस्व ग्राम बालदियों का खेड़ा पटवार हल्का पारी में स्थित होकर पूर्वजों के समय से चली आ रही है जो सम्वत 2023 से 2026 की जमाबंदी खतौनी सं. 214 पर दर्ज आ.सं. 1932, 1933, 1937, 1938, 1939 किता 5 रकबा 33 बीघा एक बिस्वा प्रार्थिया के दादा चतरभुज पिता फत्ता जी जाट [illegible] में दर्ज रिकार्ड थी, साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थिया [illegible] दादा [illegible] मृत्यु से पूर्व ही प्रार्थिया के पिता गोदाजी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थिया के दादा श्री [illegible]भुज की विरासतीय नामान्तरण सं. 270 दिनांक 20.009.1967 को स्वीकृत किया गया जिसमें प्रार्थिया का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैधानिक कारण के विरासत में दर्ज नहीं कर [illegible]केले अप्रार्थी सं. 1 जो कि प्रार्थिया का सगा भाई है के नाम पर दर्ज करते हुए 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelda
Date: 2025.03.18 1[illegible]:10:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

स्व. गोदाजी की जायंदा पुत्री होकर उनकी विरासत में अपना 1/2 हक व हिस्सा दर्ज कराने की अधिकारी थी जिससे प्रार्थिया को मृतक गोदा की विरासत में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रखा है। भू प्रबंध की कार्यवाही के दौरान भू प्रबंध कर्मचारियों द्वारा नवीन भू माप बीघा बिस्वा से हेक्टर में रूपांतरित किया जिसके अधीन प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित साबिक आराजियात के निम्न नवीन आराजी नंबर कायम किये गये जो निम्न हैं : खतौनी सं. 142 आ.सं. 287 रकबा 0.32 है., आ.सं. 288 रकबा 0.35 है., आ.सं. 415 रकबा 0.62 है. आ.सं 416 रकबा 0.32 है., आ.सं 417 रकबा 0.22 है., आ.सं. 418 रकबा 0.40 है., आ.सं. 419 रकबा 0.26 है., आ.सं. 420 रकबा 0.37 है., आ.सं. 421 रकबा 1.07 है., आ.सं 422 रकबा 1.07 है., आ.सं. 423 रकबा 0.03 है., आ.सं 424 रकबा 0.45 है., आ.सं. 425 रकबा 0.33 है., आ.सं. 426 रकबा 1.33 है. किता 14 रकबा 7.14 है. है। साक्ष्य में संवत 2073 से 2076 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 4 में वर्णित कृषि आराजियात प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि होकर अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही है जो संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि सम्पदा है जिसमें प्रार्थिया अप्रार्थी सं. 1 के साथ अपने पैतृक 1/3 हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज होकर शांतिपूर्वक कृषि कार्य करती चली आ रही है लेकिन उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम पर 1/3 हिस्से से दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थिया भी उक्त 1/3 हिस्से में से 1/2 अर्थात कुलिया आराजियात में से 1/6 हिस्से की खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत कर रखा है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थिया अप्रार्थी सं. 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज हो कृषि कार्य करती चली आ रही है लेकिन आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 2 के तन्हा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो मुझ प्रार्थिया को नुकसान पहुंचाने की गरज से विरासतीय पैतृक कृषि भूमि को रहन, बह, बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रहा है एवं प्रार्थिया के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में दखल कर मौके से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह पैतृक कृषि आराजियात को किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश या अन्य तरीके से मुन्तकिल नहीं करे एवं प्रार्थिया के शांति पूर्वक लगातार कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे ना ही ऐसे कृत्य किसी अन्य से कराये इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ प्रचलित की जावे। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 4 में वर्णित आराजियात मे प्रार्थिया माफिक हिस्से अनुसार 1/6 पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है लेकिन आराजियात शामलाती होकर मौके पर हिस्से व कब्जे को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थिया को उपरोक्तानुसार 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने व उसी उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा कराने का वादपत्र पेश कर रखा है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 4 मे प्रार्थिया के 1/6 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात को किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश व अन्य तरीके से मुन्तकिल नहीं करें तथा अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 उक्त विवादित आराजी को रहन नहीं रखे उस पर ऋण जारी नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 5 उक्त विवादित आराजियात के संबंधित दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात दिनांक 12.08.2024 को जवाब बंद किया। वकील उभयपक्ष की

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:10:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित प्रार्थिया के पक्ष में है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रकरण के मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:10:12 IST
Reason: SelfAttested